



# न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

वाद सं. 80/2021

बैजनाथ पंडित वगै० -बनाम- ठाकुर पंडित वगै०

(द.प्र.सं. की धारा 107)

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही एवं तिथि
1	2	3
<p>08.06.22</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित। पीरटॉड़ थाना अप्राथमिकी संख्या 19/2021 दिनांक 30.11.2021 द्वारा उभय पक्ष के सदस्यों को द.प्र.सं. की धारा 107 के तहत प्रतिबंधित करने से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस वाद को पंजीकृत करते हुए द.प्र.सं. की धारा 107 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्ष के सदस्यों के नाम से नोटिस निर्गत किया गया।</p> <p>निर्गत नोटिस के आलोक में उभय पक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा कारणपृच्छा दाखिल नहीं किया गया। नोटिस तामिला प्राप्त है।</p> <p>पीरटॉड़ पुलिस के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि उभय पक्षों के बीच भूमि विवाद है। मौजा घोरबाद, खाता सं. 22, प्लॉट सं. 302, रकवा 18.50 डि०, प्लॉट सं० 303, रकवा 20 डि० एवं प्लॉट सं० 304, रकवा 7 डि० भूमि का जमाबंदी प्रथम पक्ष के परदादा के नाम से कायम है। जबकि, द्वितीय पक्ष के द्वारा बाजबरन उक्त भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण उभय पक्षों के बीच भूमि विवाद को लेकर कभी भी उग्र रूप अख्तियार कर लिया जाता है, जिसके कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए उभय पक्षों को द०प्र०सं० की धारा 107 के तहत प्रतिबंधित करने का प्रतिवेदन समर्पित किया गया।</p> <p>चूंकि, उभय पक्षों के बीच भूमि विवाद है, जिसका निष्पादन करना निम्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है, अपितु उभय पक्षों के बीच विधि-व्यवस्था शांत रहे इस बात को लेकर न्यायालय गंभीर है।</p> <p>अतः उभय पक्षों में शांति-व्यवस्था बहाल रहे तथा क्षेत्र में विधि-व्यवस्था शांत रहे इस बात को सुनिश्चित करने हेतु उभय पक्ष के सदस्यों को अगले एक साल के लिए शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु मो. 5000/-रु. के दो-दो प्रतिभूतियों के अविलंब न्यायालय में बन्ध पत्र दाखिल करने के आदेश दिया जाता है। आज प्रस्तुत वाद में सुनवाई की अंतिम तिथि है अतएव प्रस्तुत वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्षों को उपलब्ध कराएँ एवं Jharkhand RCMS Portal में अपलोड करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी।</p> <p> अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी।</p>	